KAWACH | British Asian Trust

MIRACLE FOUNDATION -INDIA-

ग्यारहवाँ संस्करण

Leadership Dialogues

नवाचार करें, सहयोग करें, सशक्त बनाएँ।

हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की ओर

विषय: परिवार सुदृढ़ीकरण के लिए बाल-अनुकूल स्थानीय शासन

नीति से व्यवहार तक: राज्य नेतृत्व और स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से मिशन वात्सल्य को आगे बढ़ाना

अक्सर पूछे जाने वाले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न

झारखंड में बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों (CWPCs) के गठन में अच्छी प्रगति हुई है। आपके विभाग के अनुसार, इन समितियों को बाल संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण के लिए सक्रिय और प्रभावी बनाने की सबसे बड़ी प्राथमिकताएँ क्या हैं? साथ ही, इनके बेहतर संचालन और सशक्तीकरण के लिए विभाग की आगे क्या योजनाएँ या पहल हैं?

रोकथाम के उपाय और बाल भेद्यता अध्ययन (वल्नेरैबिलिटी स्टडी)
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण साधन पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) है। PAI में कुल नौ विषय (थीम) हैं, जिनमें बाल-हितैषी पंचायत तीसरा विषय है। इसके अंतर्गत कई संकेतक हैं, जिनसे पंचायतें बच्चों की स्थिति को आँक सकती हैं और उनके विकास पर नज़र रख सकती हैं।

उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और पोषण के अंतर्गत ये संकेतक देखे जाते हैं: समय पर टीकाकरण, एनीमिया और कुपोषण, कुपोषित पाए गए बच्चों की संख्या और उन्हें इलाज मिल रहा है या नहीं, तथा बाल मृत्यु दर। इसी तरह, शुरुआती बाल्यावस्था की देखभाल के लिए भी संकेतक हैं, जैसे आँगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों की संख्या और उनकी नियमित उपस्थिति, साथ ही आँगनवाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाएँ।

PAI में स्कूल से जुड़े संकेतक भी हैं, जैसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन और ड्रॉपआउट (पढ़ाई छोड़ने) की दर। बाल संरक्षण की दृष्टि से इसमें बाल विवाह, उत्पीड़न और तस्करी जैसे मुद्दे भी देखे जाते हैं। इससे पंचायतें समझ पाती हैं कि वे कहाँ अच्छा कर रही हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है।

PAI की एक बड़ी ताकत यह है कि यह सभी पंचायतों के लिए आँकड़ों पर आधारित व्यवस्था देता है। आँकड़े संबंधित विभागों से आते हैं और पंचायत द्वारा अंतिम रूप देने से पहले उनकी जाँच की जाती है। हर पंचायत को विषय-वार रैंकिंग भी मिलती है, जिससे वह देख सकती है कि किस क्षेत्र में पीछे है और किस पर पहले काम करना है। यह रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायतें कमियों और जोखिमों को गंभीर संरक्षण समस्या बनने से पहले ही पहचान सकती हैं।

इसके साथ ग्राम सभा की चर्चाओं, आँगनवाड़ी सेविकाओं और वार्ड सदस्यों की मदद से उन बच्चों की पहचान की जा सकती है जिन्हें अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए: दिव्यांग बच्चे, स्कूल छोड़ चुके बच्चे, बिना माता-पिता की देखरेख वाले बच्चे, या बाल श्रम और बाल विवाह के जोखिम में पड़े बच्चे।

बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (CWPC)
मिशन वात्सल्य के अनुसार, बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के पास 5% अनटाइड फंड (बिना शर्त वाली निधि) को बच्चों से जुड़े कामों में ज़्यादा सोच-समझकर खर्च करने का अवसर है। अभी बहुत कम पंचायतें इसे खास तौर पर बाल-हितैषी पंचायत के लिए उपयोग करती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुई जागरूकता से बदलाव शुरू हुआ है। कुछ पंचायतों में इस राशि का उपयोग बच्चों के पार्क, आँगनवाड़ी भवनों की बेहतर सुविधाओं और शौचालय/स्वच्छता सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। हमें इन निवेशों को बढ़ाना है, साथ ही क्षमता निर्माण और सामुदायिक निगरानी को भी मज़बूत करना है।

निधि का आवंटन और समन्वय (कन्वर्जेंस)
ग्राम पंचायतों के पास धन उपलब्ध होने की संभावना है, और यदि हम मिलकर समन्वित प्रयास करें तो बाल-हितैषी पंचायत और परिवार सुदृढ़ीकरण, दोनों को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है।

उदाहरण के लिए, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS) आजीविका मिशन के तहत एक बहुत बड़ा मंच है, जिससे 60 लाख से ज़्यादा महिलाएँ जुड़ी हैं। हम यह देख रहे हैं कि इस नेटवर्क का उपयोग समुदायों को संवेदनशील बनाने और बच्चों के मुद्दों पर समुदाय की ज़िम्मेदारी की भावना बढ़ाने में कैसे किया जा सकता है।

परिवार सुदृढ़ीकरण उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अनाथ हैं, विधि-विरोधी परिस्थितियों में हैं (कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे), या किसी अन्य कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि समुदाय यह समझे कि ऐसे बच्चों की मदद करने में उसकी भी भूमिका है, और यह ज़िम्मेदारी सिर्फ़ औपचारिक व्यवस्था पर न छोड़ी जाए।

महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के साथ भी बातचीत और तालमेल विकसित किया जा रहा है, ताकि इन पहलों को और मज़बूत किया जा सके। मेरे विचार में झारखंड इस समय बहुत सकारात्मक दौर में है, क्योंकि यहाँ संस्थागत मंच भी है और पंचायत स्तर पर बच्चों पर केंद्रित कार्य के महत्व की समझ भी बढ़ रही है।

पुरस्कार और सम्मान

राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने का भी प्रावधान है। जब इस पुरस्कार के दिशानिर्देश बनाए गए, तब हमने यह सुनिश्चित किया कि उनमें बच्चों से जुड़े कार्य भी शामिल हों। इनमें ऐसे उपाय हैं, जैसे जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते उनके लिए आने-जाने की व्यवस्था में मदद, ताकि स्कूल छोड़ने की समस्या रोकी जा सके। हमने पंचायत भवनों में महिला और बाल-हितैषी स्थान बनाने का विचार भी जोड़ा है, ताकि भागीदारी बढ़े और स्तनपान कक्ष जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों।

बच्चों की भागीदारी

इसके अलावा, राज्य के बजट में पंचायत भवनों में बच्चों के लिए पुस्तकालय का प्रावधान किया गया है, जिसे अंतिम रूप देकर लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। हम ग्राम पंचायतों को इन प्रावधानों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत बड़ा मंच है। यदि हम इस मंच का प्रभावी उपयोग बच्चों की भागीदारी, जागरूकता, संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण के लिए कर सकें, तो बच्चों के लिए एक कहीं अधिक मज़बूत व्यवस्था बना सकते हैं।

निष्कर्ष

अंततः अवसर यह है कि हम PAI के आँकड़ों, पंचायत की योजना, अनटाइड फंड, JSLPS और महिला समूहों, संबंधित विभागों, सामुदायिक भागीदारी और समन्वय को एक साथ जोड़ें। यदि ये प्रयास आपस में तालमेल से चलें, तो पंचायतें केवल बाल संरक्षण की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहेंगी। वे जोखिमों को पहले ही रोकने, परिवारों को मज़बूत करने और ऐसा माहौल बनाने की ओर बढ़ सकेंगी जिसमें झारखंड के हर बच्चे को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का अवसर मिले।

संदर्भ:

- Panchayat Advancement Index | Webpage
- Jharkhand CWPC guidelines

टीआरआई (TRI) के साथ अपने अनुभव के आधार पर, पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कौन-से तरीके सबसे प्रभावी रहे हैं, ताकि वे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में बाल संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण को शामिल कर सकें? क्या आप झारखंड के कुछ ऐसे उदाहरण साझा कर सकते हैं जहाँ यह प्रयास सफल रहा हो, और उसके पीछे क्या कारण रहे?

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (TRI) का दृष्टिकोण

TRI के अनुभव में पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका हमारा CBO–PRI–LA स्थानीय समझौता (लोकल कॉम्पैक्ट) है। इसमें CBO (समुदाय आधारित संगठन) का मतलब महिला समूह और उनके संगठन हैं, PRI का मतलब पंचायती राज संस्थाएँ, और LA का मतलब स्थानीय प्रशासन। यह TRI के परिवर्तन के सिद्धांत (थ्योरी ऑफ़ चेंज) पर आधारित है। इसके अनुसार बाल संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण में टिकाऊ बदलाव अकेले पंचायत से नहीं आ सकता। समुदाय आधारित संगठन, पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय प्रशासन, तीनों को स्थानीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में साथ मिलकर काम करना होगा।

हमारा प्रयास यह है कि पंचायत सिर्फ़ योजना बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि शासन में सक्रिय भागीदार बने। इसलिए क्षमता निर्माण का मतलब केवल पंचायत प्रतिनिधियों को बाल संरक्षण की अवधारणाएँ समझाना नहीं है। असली उद्देश्य यह है कि वे सहयोग की ज़रूरत वाले बच्चों और परिवारों को पहचान सकें, स्थानीय स्थिति को समझ सकें, सही हितधारकों को जोड़ सकें और पंचायत के पास उपलब्ध व्यवस्थाओं और संसाधनों का उपयोग कर सकें।

सीख

हमारे काम की एक मुख्य सीख यह है कि प्रशिक्षण केवल मुद्दे पर आधारित नहीं, बल्कि स्थिति पर आधारित होना चाहिए। हर पंचायत का अपना संदर्भ होता है। उदाहरण के लिए, झारखंड में मानव तस्करी एक बड़ा मुद्दा है और महिला समूह इसके अलग-अलग पहलुओं पर पहले से काम कर रहे हैं। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों से सिर्फ़ यह पूछना काफ़ी नहीं कि वे बाल संरक्षण को समझते हैं या नहीं। हमें व्यावहारिक सवाल पूछने चाहिए: आपकी पंचायत में कौन-से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं? किन बच्चों पर बाल विवाह का खतरा है? कौन-से परिवार कठिनाई में हैं? और इन बच्चों और परिवारों के सामने ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? सवाल पूछने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। इससे पंचायत प्रतिनिधि समझ पाते हैं कि बाल संरक्षण सिर्फ़ एक विभाग की ज़िम्मेदारी नहीं है। पंचायत की भी इसमें अहम भूमिका है। उन्हें इसे योजना में जोड़ा गया एक और मुद्दा नहीं, बल्कि अपनी शासन-ज़िम्मेदारी का हिस्सा मानना चाहिए।

बाल संरक्षण और ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

दूसरा पहलू बाल संरक्षण को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की दृष्टि से देखना है। हमारा तरीका है कि पंचायत को पहले से मौजूद स्थानीय संसाधनों, हितधारकों और सामुदायिक संस्थाओं से जोड़ा जाए और बच्चों व परिवारों के मुद्दों को योजना प्रक्रिया में लाया जाए। किसी समस्या को GPDP में केवल मुद्दों की सूची के रूप में डाल देना ठीक नहीं है। हर मुद्दे के लिए पूरा योजना चक्र पूरा होना चाहिए: विशेष गतिविधि क्या है, ज़िम्मेदार कौन है, कौन-से स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं, किस योजना या निधि का उपयोग हो सकता है, और निगरानी की व्यवस्था क्या होगी।

उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, तो पंचायत केवल "शिक्षा सुधार कार्यक्रम" लिख देने से काम नहीं चला सकती। उसे यह पहचानना होगा कि कौन-से बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्होंने क्यों छोड़ा, वे किन परिवारों से हैं और क्या उन परिवारों को अतिरिक्त सहयोग चाहिए। फिर यह देखना होगा कि स्कूल, आँगनवाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह (SHG), ग्राम संगठन (VO), क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) और संबंधित विभाग क्या भूमिका निभा सकते हैं। पंचायत यह अकेले नहीं कर सकती। उसे पूरे तंत्र की मदद लेनी होगी।

समन्वय (कन्वर्जेंस)

तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है समन्वय। पंचायत अकेले बाल संरक्षण पर काम नहीं कर सकती। उसे स्कूल, आँगनवाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, SHG और उनके संघों (VO और CLF), अन्य समितियों, संस्थाओं और संबंधित सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करना होगा। इन मुद्दों को ग्राम सभा में लाकर सबके साथ चर्चा करनी चाहिए। GPDP भी सिर्फ़ पंचायत का दस्तावेज़ बनकर न रह जाए। समुदाय को उसे अपनाना चाहिए और उसे "अपनी योजना" मानना चाहिए।

महिला समूहों की मौजूदा व्यवस्था पर आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर है। देश भर में लगभग 37,000 CLF हैं और गाँवों में SHG का मज़बूत आंदोलन है। हर CLF के पास अपना सामुदायिक निवेश कोष (CIF) भी है, जो सरकारी विभागों की निधि और बैंक लिंकेज से अलग है। जब हमारे पास आर्थिक और सामुदायिक ताकत वाली दो बड़ी संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं, पंचायत व्यवस्था और महिला समूहों की व्यवस्था, तो सवाल यह है कि हम इन संसाधनों और संस्थाओं को समन्वय के ज़रिए एक साथ क्यों नहीं ला रहे?

झारखंड का संदर्भ

झारखंड में TRI का ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP) पर काम इस दृष्टिकोण का एक अच्छा उदाहरण है। VPRP SHG सदस्यों के ज़रिए तैयार होती है और यह हर परिवार और पूरे समुदाय की ज़रूरतों पर आधारित होती है। इसमें चार प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं: हक़दारी योजना, आजीविका योजना, सार्वजनिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ (सामुदायिक) योजना, और सामाजिक विकास योजना।

गाँव स्तर पर दो-तीन VO हो सकते हैं, और पंचायत स्तर पर सात-आठ VO। इन सभी योजनाओं को पंचायत स्तर पर जोड़कर एक समेकित योजना बनाई जा सकती है, जिसे फिर GPDP में शामिल किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि VPRP और GPDP आपस में जुड़ें, ताकि परिवार के स्तर पर पहचानी गई समस्याओं को भी पंचायत की योजना और कार्रवाई में जगह मिले।

यह दृष्टिकोण इसलिए ज़रूरी है कि हमें इस मुद्दे को सिर्फ़ बाल-हितैषी पंचायत के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। बाल संरक्षण को एक अलग गतिविधि मानकर हम बाल-सुरक्षित पंचायत नहीं बना सकते। हमें महिला-हितैषी पंचायत, सामाजिक सुरक्षा और परिवार सुदृढ़ीकरण को साथ में देखना होगा, क्योंकि बच्चे की स्थिति अक्सर उसके परिवार की परिस्थितियों से जुड़ी होती है।

बच्चों और परिवारों की पहचान

इसलिए पहला कदम है उन बच्चों और परिवारों की पहचान करना जिन्हें अतिरिक्त देखभाल और सहयोग की ज़रूरत है। फिर उनकी स्थिति के कारणों को समझना और उन्हें GPDP, योजनाओं, संसाधनों और संबंधित संस्थाओं से जोड़ना। इन बच्चों और परिवारों को हमें योजना की सिर्फ़ एक गतिविधि के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्षमता निर्माण का नतीजा यह नहीं होना चाहिए कि प्रशिक्षण के बाद पंचायत प्रतिनिधि बाल संरक्षण की परिभाषा बता दे या शब्दावली समझा दे। असली नतीजा तब है जब प्रतिनिधि अपनी पंचायत में सहयोग की ज़रूरत वाले बच्चों और परिवारों को पहचान सके, उनकी ज़रूरतें समझ सके, संबंधित संस्थाओं के साथ तालमेल से काम कर सके, उपलब्ध योजनाओं और संसाधनों का उपयोग कर सके, और यह सुनिश्चित कर सके कि ये बच्चे और परिवार व्यवस्था से छूट न जाएँ।

जब पंचायतें यह नज़रिया अपनाती हैं और CBO और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सामूहिक कदम उठाती हैं, तब हम प्रशिक्षण से आगे बढ़कर सही मायने में बच्चों की सुरक्षा करने वाली और परिवारों को मज़बूत करने वाली पंचायत की ओर बढ़ते हैं।

क्या आप अपने गाँव में बाल-अनुकूल ग्राम पंचायत बनाने का अपना अनुभव बता सकते हैं? इससे बच्चों और परिवारों को क्या लाभ हुआ? इस काम में आपको कौन-सी चुनौतियाँ आईं, और आगे बाल संरक्षण को और मजबूत करने के लिए 5% अनटाइड फंड का उपयोग आप कैसे करना चाहते हैं?

कार्यों का अवलोकन

हमारी ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार काम करती है। GPDP के तहत हम अलग-अलग विषय (थीम) चुनते हैं और उसी के अनुसार गतिविधियाँ तय करते हैं। बाल-हितैषी पंचायत भी ऐसा ही एक विषय है, जिस पर ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (CINI) के सहयोग से, उसके कवच (KAWACH) कार्यक्रम के अंतर्गत काम करते हैं।

हमारे तरीके का एक अहम हिस्सा है बच्चों के साथ सीधे काम करना और उनकी ज़रूरतों को सुनना। हम बाल सभा आयोजित करते हैं, जहाँ बच्चे अपनी समस्याएँ और प्राथमिकताएँ रख सकते हैं। आँगनवाड़ी सेविकाओं, शिक्षकों और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम इन ज़रूरतों को पहचानते हैं और उन्हें उचित बजट के साथ GPDP में शामिल करने की कोशिश करते हैं।

हमारा काम बच्चों के विकास और संरक्षण, दोनों पर केंद्रित है। इसमें आँगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाना, खेलने के लिए जगह उपलब्ध कराना, स्कूल की चारदीवारी जैसे सुरक्षा के इंतज़ाम मज़बूत करना, तथा बाल विवाह और बाल तस्करी, बाल श्रम जैसी संरक्षण से जुड़ी समस्याओं को रोकने का काम शामिल है। साथ ही, हम पात्र बच्चों और परिवारों को दिव्यांगता सहायता, स्पॉन्सरशिप और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करते हैं, खासकर जब परिवारों को अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत होती है।

परिवार सुदृढ़ीकरण

परिवार सुदृढ़ीकरण इस काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम माता-पिता और समुदाय के साथ नशे की समस्या जैसे विषयों पर जागरूकता गतिविधियाँ करते हैं, परिवारों को उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देते हैं, और उनकी ज़रूरत के अनुसार

आजीविका के अवसरों में सहयोग करते हैं। समुदाय के साथ सीधे काम करने से हमें स्थानीय प्राथमिकताएँ समझने में मदद मिलती है और लोगों की भागीदारी तथा काम की निरंतरता बढ़ती है।

हम 5% अनटाइड फंड का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों की ज़रूरतों के लिए करते हैं, जैसे आँगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छता और सुविधाओं को बेहतर बनाना और खेलने के अवसर देना। आगे हम इस अतिरिक्त आवंटन का उपयोग खेल-कूद और अन्य खेल-आधारित गतिविधियों के ज़रिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में और मदद के लिए करना चाहते हैं।

बच्चों की भागीदारी
हमारी प्रक्रिया बाल सभा से शुरू होकर महिला सभा और फिर ग्राम सभा तक जाती है, ताकि बच्चों की प्राथमिकताएँ समुदाय की चर्चाओं और GPDP का हिस्सा बन सकें। हम फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के साथ नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा भी करते हैं और उसी के आधार पर अगले कदम तय करते हैं।

हमारे लिए बाल-हितैषी पंचायत का मतलब सिर्फ़ सुविधाएँ बनाना नहीं है। इसका मतलब है बच्चों की बात सुनना, परिवारों और समुदाय को साथ जोड़ना, उन्हें उपलब्ध सहयोग से जोड़ना, और यह सुनिश्चित करना कि बच्चे सुरक्षित रहें, उन्हें सहयोग मिले और वे आगे बढ़ सकें।

संदर्भ:
- Training tool for CWPC members by BAT
- KAWACH CWPC key guidance notes by BAT

आपके प्रखंड में बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों (CWPCs) की वर्तमान स्थिति क्या है? इन्हें सक्रिय बनाने और बेहतर ढंग से काम करने के लिए आपने क्या प्रयास किए, और सदस्यों को प्रेरित करने में क्या सबसे अधिक प्रभावी रहा?

बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों का गठन
2025 में मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से और पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार तथा जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम और खूँटी के जिला प्रशासन के साथ मिलकर, बाल कल्याण संघ ने 49 पंचायतों में बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के गठन में सहयोग किया। साथ ही 35 ग्राम स्तरीय समितियाँ भी बनाई गईं।

शुरुआत में कई पंचायत प्रतिनिधि अपनी भूमिका को मुख्य रूप से गाँव के समग्र विकास तक ही मानते थे। वे बच्चों के विकास और संरक्षण को अपनी अलग ज़िम्मेदारी के रूप में नहीं देखते थे। इसलिए हमें नियमित बैठकों और चर्चाओं के ज़रिए समितियों के साथ लगातार जुड़ना पड़ा। शुरू में बैठकों में उपस्थिति अनियमित रही। लेकिन जब हमने इन बैठकों में बच्चों के लिए उपलब्ध अलग-अलग योजनाओं और सेवाओं के बारे में बताया और सदस्यों ने खुद देखा कि इन योजनाओं से असली बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, तो उनकी रुचि और अपनापन बढ़ा।

आज 49 पंचायतों में से लगभग 35–36 समितियाँ अपने आप बैठकें करने लगी हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वे सहयोग की ज़रूरत वाले बच्चों की खुद पहचान कर रही हैं और उन्हें संबंधित योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। केवल समिति के रूप में गठित होने से आगे बढ़कर बाल संरक्षण की ज़िम्मेदारी सक्रिय रूप से निभाना इस काम की एक प्रमुख उपलब्धि रही है।

बच्चों की भागीदारी
गाँव स्तर पर ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए, खूँटी की दो पंचायतों में हमने बाल मंच बनाए, ताकि बच्चों की बात समिति तक पहुँच सके। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा हो, तो यह मुद्दा

बाल मंच के ज़रिए उठाया जा सकता है और गाँव स्तर की समिति तक पहुँचाया जा सकता है। समिति इस पर चर्चा करके तय करती है कि क्या कार्रवाई की जाए, जिसमें संबंधित लोगों और विभागों से बात करके बच्चे को वापस स्कूल भेजना भी शामिल है।

समितियों ने गाँव के व्यापक मुद्दे भी उठाए हैं। कुछ गाँवों में उन्होंने गाँव को नशामुक्त बनाने में योगदान दिया है, और ग्राम सभाओं में भी बच्चों की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा, गाँव स्तर की समितियों ने 12–13 तस्करी के मामलों को अपने स्तर पर सुलझाया है। इससे पता चलता है कि वे बाल संरक्षण से जुड़ी समस्याओं को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने में लगातार सक्षम हो रही हैं।

ज़िम्मेदारी की भावना

इसलिए हमारी मुख्य रणनीति रही है लगातार जुड़ाव और नतीजे दिखाना। समिति के सदस्यों को केवल उनकी ज़िम्मेदारियाँ बताने के बजाय, हमने उन्हें उपलब्ध सहयोग व्यवस्थाओं को समझने, असली मामलों की पहचान करने और अपने फ़ैसलों का असर देखने में मदद की। जब उन्होंने देखा कि उनके कदमों से बच्चों के जीवन में सीधा सुधार आ सकता है, तो समितियाँ ज़िम्मेदारी लेने के लिए और ज़्यादा प्रेरित हुईं।

इस सफ़र में जमशेदपुर का विशेष महत्व है, क्योंकि 2025 में यह झारखंड के उन पहले ज़िलों में से एक बना जहाँ बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियाँ पंचायती राज ढाँचे के अनुरूप गठित की गईं और इन्हीं संरचनाओं के ज़रिए काम शुरू हुआ। यह अनुभव दिखाता है कि जब समितियों को गठन से आगे बढ़कर नियमित रूप से काम करने में सहयोग दिया जाता है, तो वे स्थानीय स्तर पर बाल संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण के लिए सार्थक मंच बन सकती हैं।

5% के अनटाइड फंड (Untied Fund) के अलावा, पंचायतों को बाल संरक्षण में अधिक विश्वास और प्रभावी ढंग से निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए कौन-से अन्य वित्तीय तंत्र या स्वयं के राजस्व (Own-Source Revenue) मॉडल अपनाए जा सकते हैं?

5% अनटाइड फंड के अलावा भी ऐसे कई अवसर हैं, जिनसे बाल संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को मज़बूत किया जा सकता है।

एक महत्वपूर्ण अवसर 16वाँ वित्त आयोग है, जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जो पंचायत स्तर की प्राथमिकताओं में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, झारखंड ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से भी प्रावधान किए हैं। इसके तहत हर साल लगभग ₹1,000 करोड़ पंचायतों को हस्तांतरित होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य है कि पंचायतें इन संसाधनों का उपयोग उन संकेतकों पर करें जिनमें उनका प्रदर्शन कमज़ोर है। झारखंड में महिला और बाल-हितैषी संकेतक उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहाँ पंचायतों में काफ़ी कमियाँ हैं। इसलिए इन निधियों से इन क्षेत्रों में सुधार का अच्छा अवसर है। हम यह पैरवी कर रहे हैं कि राज्य वित्त आयोग के आवंटन का कम से कम 20% हिस्सा उन संकेतकों पर खर्च हो, जिनमें पंचायत पिछड़ रही है। यह नीति अभी अंतिम चरण में है, और बाल-हितैषी पंचायतों के लिए यह वित्तीय सहयोग का एक बड़ा अवसर बन सकती है।

अपने स्रोत से आय (OSR) भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी संभावना है, हालाँकि झारखंड में यह अभी सीमित है। सरकार फ़िलहाल इसके लिए नीतिगत ढाँचा तैयार कर रही है। जैसे-जैसे पंचायतें आय पैदा करने वाली गतिविधियाँ शुरू करेंगी, उन्हें यह तय करने की ज़्यादा आज़ादी होगी कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे करें। आगे चलकर OSR पंचायतों के लिए स्वतंत्र वित्त का एक अहम स्रोत बन सकता है।

CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) के ज़रिए धन जुटाने की भी गुंजाइश है। बैंक स्थानीय स्तर पर मौजूद हैं और ज़िलों में छोटे उद्यम भी बढ़ रहे हैं। CSR साझेदार पहले से खेल-कूद, बच्चों के विकास और सीखने की जगहों जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अभी और जागरूकता की ज़रूरत है, ताकि CSR निवेश सिर्फ़ ढाँचागत निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों के समग्र कल्याण में योगदान देने

वाली बाल-हितैषी और बाल संरक्षण की व्यापक पहलों तक पहुँचे। इसके लिए ज़िला स्तर पर सहयोग और समन्वय (कन्वर्जेंस) की ज़रूरत होगी।

इसलिए आगे हम राज्य वित्त आयोग के संसाधनों, 16वें वित्त आयोग, अपने स्रोत से आय (OSR) और CSR के मेल को 5% अनटाइड फंड के अलावा वित्त के महत्वपूर्ण रास्तों के रूप में देखते हैं। यदि ये संसाधन PAI के संकेतकों और पंचायत स्तर की कमियों के अनुरूप उपयोग किए जाएँ, तो पंचायतें बाल संरक्षण, परिवार सुदृढ़ीकरण और बाल-हितैषी विकास में व्यवस्थित ढंग से निवेश करने की कहीं बेहतर स्थिति में होंगी। खास तौर पर, हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में झारखंड में पंचायतों के वित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा OSR से आएगा।

संदर्भ:

- Panchayat Advancement Index | State Dashboard

क्या ULBs की प्रगति को ट्रैक करने के लिए PAI जैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म या डैशबोर्ड है?

नहीं, पंचायतों के विपरीत, फ़िलहाल बाल संरक्षण या परिवार सुदृढ़ीकरण पर शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के प्रदर्शन को आँकने के लिए PAI जैसा कोई विशेष ढाँचा मौजूद नहीं है। हालाँकि, नीति आयोग ने SDG अर्बन इंडेक्स एवं डैशबोर्ड तैयार किया है, जो शहरों का मूल्यांकन गरीबी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, लैंगिक समानता, शहरी सेवाओं और शासन जैसे क्षेत्रों के संकेतकों के आधार पर करता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को स्थानीय स्तर पर लागू करने और शहर स्तर पर निगरानी को मज़बूत करना है।

इसलिए ULB के लिए अवसर यह है कि वे इन मौजूदा शहरी निगरानी ढाँचों का उपयोग करें और शहरी योजना तथा निगरानी में बाल संरक्षण, परिवार सुदृढ़ीकरण और बाल कल्याण के संकेतकों को और मज़बूती से शामिल करें।

संदर्भ:

- https://www.niti.gov.in/divisions/division/managing-urbanisation

स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, CWPCs और पुलिस के बीच किस प्रकार के अभिसरण (Convergence) मॉडल जमीनी स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी साबित हुए हैं?

ज़मीनी स्तर पर सबसे प्रभावी समन्वय (कन्वर्जेंस) मॉडल वह है जिसमें पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि "पहला उत्तरदाता" (फर्स्ट रेस्पॉन्डर) की भूमिका निभाता है, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में। निर्वाचित प्रतिनिधि गाँव में ही रहता है और 24 घंटे उपलब्ध होता है। इसलिए बच्चे या परिवार की तुरंत सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सही सेवाओं से जोड़ने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

अलग-अलग हितधारकों को एक साथ लाने वाले कई मंच भी हैं। उदाहरण के लिए, ग्राम पंचायत/CWPC मंच पंचायत प्रतिनिधियों और महिला समूहों को साथ लाता है, ताकि वे समस्याओं पर चर्चा करें और निर्णय लें। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को एक साथ लाती है। ये मंच इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि बाल संरक्षण का काम अकेले किसी एक विभाग से नहीं हो सकता।

ज़िला स्तर पर ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और वन स्टॉप सेंटर सहयोग की ज़रूरत वाली महिलाओं और बच्चों के लिए अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ कानूनी सहायता मिलती है, जिसमें ऐसे मामलों में मदद भी शामिल है जहाँ कानूनी फ़ीस माफ़ हो सकती है, और 15 दिन तक अस्थायी आवास की सुविधा भी मिलती है। जब पंचायत प्रतिनिधि या महिला समूह किसी ऐसे मामले की पहचान करते हैं जिसमें विशेष सहायता की ज़रूरत हो, तब ये जुड़ाव और भी ज़रूरी हो जाते हैं।

इस व्यवस्था को असरदार बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और महिला समूहों को अपने इलाके का "सेवा मानचित्र" (लोकल सर्विस मैप) पता होना चाहिए, यानी किससे संपर्क करना है, मामला कहाँ भेजना है और कौन-सी सेवाएँ उपलब्ध हैं। जब कोई मामला पहले उत्तरदाता के पास आता है, खासकर जब उसमें कोई बालिका शामिल हो, तो पहली प्राथमिकता सुरक्षा, गोपनीयता और सही जगह रेफ़रल होनी चाहिए। इसलिए यह सुनिश्चित करने में कि मामला सही सहयोग व्यवस्था तक पहुँचे, पंचायत की बहुत अहम भूमिका है।

शहरी और शहर से सटे (पेरी-अर्बन) इलाकों में भी समन्वय को मज़बूत करने की काफ़ी गुंजाइश है। शहरी स्थानीय निकायों की विभागों, नागरिक समाज संगठनों (CSO) और विशेष सेवाओं तक अक्सर ज़्यादा पहुँच होती है, जैसे बाल संरक्षण समितियाँ, बाल संरक्षण केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और जेंडर रिसोर्स सेंटर। लेकिन शहर से सटी पंचायतों में अक्सर एक कमी दिखती है: सुविधाएँ शहर में तो होती हैं, पर शहर से कुछ किलोमीटर आगे जाते ही उन तक पहुँच काफ़ी कम हो जाती है।

यहीं हमें समन्वय मॉडल को और मज़बूत करने की बड़ी संभावना दिखती है, ताकि शहरी इलाकों में उपलब्ध रेफ़रल और संरक्षण की वही व्यवस्था शहर से सटी और ग्रामीण पंचायतों के बच्चों और परिवारों को भी मिल सके।

क्या किसी पंचायत ने 5% अनटाइड फंड का उपयोग बाल संरक्षण के लिए किया है, जैसे बाल विवाह विरोधी और बाल श्रम विरोधी अभियान।?

5% अनटाइड फंड का फ़ोकस ढाँचागत निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम बच्चों को आगे बढ़ने में कैसे मदद करें और उनके लिए एक सुरक्षित माहौल कैसे बनाएँ। पंचायत स्तर पर हम समुदाय के साथ बाल संरक्षण की कई समस्याओं पर चर्चा करते हैं और इन्हें हल करने के लिए रैलियों, बैठकों और जागरूकता गतिविधियों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, हम नशे की समस्या और बच्चों पर उसके असर पर बात करते हैं, जैसे जब माता-पिता नशा करते हैं तो इसका बच्चे और परिवार के माहौल पर क्या असर पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि समुदाय को जागरूक बनाया जाए और उसमें साझा ज़िम्मेदारी की भावना जगाई जाए। सुरक्षित गाँव अकेले पंचायत नहीं बना सकती, इसके लिए समुदाय की भागीदारी ज़रूरी है। इसलिए हम महिला समूहों, सामुदायिक संगठनों और स्कूलों जैसे मौजूदा मंचों का उपयोग करते हैं, ताकि बच्चों पर बुरा असर डालने वाले मुद्दों पर चर्चा हो सके।

इन गतिविधियों के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा धन लगे। सामुदायिक जागरूकता, चर्चा और लोगों को जोड़ने में किया गया छोटा-सा निवेश भी लोगों को जोखिम पहचानने और मिलकर कदम उठाने में मदद कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सिर्फ़ भौतिक सुविधाएँ बनाने के लिए न हो, बल्कि जागरूकता बढ़ाने, समुदाय की भागीदारी मज़बूत करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए हो जहाँ बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहें और उन्हें बेहतर सहयोग मिले।

जब मिशन वात्सल्य में “बाल असुरक्षा (Child Vulnerability)” की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, तो स्थानीय सरकारें इसे किस प्रकार समझ और लागू कर रही हैं? और क्या समुदाय-आधारित प्रणालियों को मजबूत करने के लिए झारखंड के PESA नियमों (JH PESA Rules) को इसमें एकीकृत किया जा सकता है?

संदर्भ:
मिशन वात्सल्य में "बाल असुरक्षा" (child vulnerability) की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं और असुरक्षित बच्चों का सर्वेक्षण करने को कहा गया है, लेकिन कोई मापने योग्य परिभाषा नहीं है। इस वजह से स्थानीय सरकारें और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता जाने-पहचाने संकेतों पर निर्भर हो जाते हैं: जैसे स्कूल से बाहर के बच्चे, एकल अभिभावक या प्रवासी परिवारों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे, या ऐसे बच्चे जो पहले से बाल संरक्षण व्यवस्था की जानकारी में हैं।

नतीजा यह होता है कि असुरक्षा को अक्सर सिर्फ़ दिखने वाली गरीबी या मौजूदा संकट मान लिया जाता है। जबकि इसका मूल उद्देश्य संकट आने से पहले ही उन बच्चों की पहचान करना था जिन पर परिवार से अलग होने या नुकसान का खतरा है। उपेक्षा, परिवार के टूटने के शुरुआती संकेत या घर में नशे जैसे छिपे हुए जोखिम अनदेखे रह सकते हैं, क्योंकि CWPC और पंचायतों के पास देखने के लिए कोई साझा चेकलिस्ट नहीं है।

झारखंड में लगभग आधा राज्य पेसा (PESA) क्षेत्र में आता है। ये इलाके ज़्यादातर आदिवासी हैं और इनमें से कई दुर्गम हैं, जहाँ बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सीमित है। यहाँ बच्चों पर तस्करी और बाल विवाह का खतरा ज़्यादा है, इसलिए ये समुदाय हमारे लिए एक प्रमुख फ़ोकस हैं। इन समुदायों में शासन, सामूहिक निर्णय और स्थानीय समस्याओं के समाधान की अपनी मज़बूत पारंपरिक व्यवस्थाएँ भी हैं। हमारा तरीका है कि पेसा को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करके इन समुदाय-आधारित व्यवस्थाओं को मज़बूत किया जाए और बाल संरक्षण के मुद्दों को इन्हीं के भीतर लाया जाए।

चुनौतियाँ

असुरक्षा की पहचान का कोई साझा तरीका नहीं। पहचान व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करती है, और इसमें शुरुआती जोखिम के बजाय मौजूदा संकट ही ज़्यादा पकड़ में आता है।

आँकड़े बनाम स्वशासन। हम ऐसे समुदायों में संकेतक और आँकड़े ले जाना चाहते हैं जिनके अपने निर्णय लेने के तरीके हैं। पेसा स्वायत्तता पर आधारित है, इसलिए बाहरी लोगों को समुदाय को यह नहीं बताना चाहिए कि क्या करना है। हमें "ये संकेतक कमज़ोर हैं" कहने और समुदाय के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना होगा।

पेसा नियमावली अभी शुरुआती चरण में। राज्य में पेसा नियमावली (PESA Rules) हाल ही में लागू हुई है और हम अभी यह समझ रहे हैं कि ज़मीन पर ये कैसे काम करती हैं। समुदाय अक्सर पूछते हैं कि प्रशासन उन्हें क्यों बताए कि क्या करना है।

संसाधनों पर ध्यान। जब समुदाय आज़ादी की बात करते हैं, तो चर्चा आम तौर पर भौतिक, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों (जल, जंगल, ज़मीन) के बारे में होती है, बच्चों के बारे में नहीं।

अवसर

एक सरल, स्थानीय ज़रूरत के अनुसार बनाया गया मैपिंग टूल। एक साधारण चेकलिस्ट भी, जिसका नियमित उपयोग CWPC और आँगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता करें, व्यक्तिगत समझ पर निर्भरता घटा सकती है। इसमें सिर्फ़ मौजूदा संकट नहीं, बल्कि शुरुआती जोखिम भी दर्ज होने चाहिए।

मज़बूत ग्राम सभाएँ। पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के पास ज़्यादा अधिकार हैं, इसलिए वहाँ उठाए गए बाल संरक्षण के मुद्दों को ज़्यादा वज़न मिलता है और वे स्थानीय योजना को सीधे प्रभावित कर सकते हैं।

सामुदायिक व्यवस्थाओं को CWPC से जोड़ना। पेसा पारंपरिक व्यवस्थाओं का सम्मान करता है। समुदाय के बुज़ुर्गों और महिला समूहों जैसी अनौपचारिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को औपचारिक व्यवस्था से अलग मानने के बजाय CWPC से जोड़ा जा सकता है।

समुदाय की अपनी भागीदारी (ओनरशिप)। पेसा भागीदारी और सहमति पर आधारित है, इसलिए यह ऊपर से थोपने के बजाय समुदाय को खुद असुरक्षित बच्चों की पहचान करने में मदद करता है।

उत्साहजनक उदाहरण। समाज कल्याण विभाग ने हाल ही में समुदाय के नेताओं के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने ज़िम्मेदारी की मज़बूत भावना दिखाई और तस्करी तथा बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में काम करने की सामूहिक शपथ ली।

भविष्य की रणनीति:
समुदायों पर समाधान थोपने के बजाय जागरूकता, संवाद और लगातार बातचीत पर ज़ोर दिया जाए। यह मुख्य रूप से सोच और व्यवहार में बदलाव का काम है।

साझेदार NGO और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर ऐसे समुदायों की पहचान की जाए जहाँ पहले से अपनेपन की मज़बूत भावना है, और बातचीत की शुरुआत वहीं से हो। लक्ष्य यह है कि समुदाय के नेता खुद तस्करी, बाल विवाह और बच्चों के लिए अन्य जोखिमों पर चर्चा करें।

धीरे-धीरे यह समझ जोड़ी जाए कि बच्चे समुदाय का भविष्य हैं, उसका आने वाला संसाधन हैं, और उनकी सुरक्षा और भलाई समुदाय के भविष्य के लिए ज़रूरी है।

ग्राम सभा को मुख्य मंच बनाया जाए। यदि स्वशासन का सम्मान करते हुए बाल असुरक्षा और संरक्षण के मुद्दे ग्राम सभा में लाए जा सकें, तो पेसा झारखंड में समुदाय के नेतृत्व वाले बाल संरक्षण और परिवार सुदृढ़ीकरण का एक मज़बूत आधार बन सकता है।

समुदायों का अब खुद हमारे पास आना एक सकारात्मक संकेत है। अब काम यह है कि बाल संरक्षण की चिंताओं को उनकी मौजूदा बातचीत का हिस्सा बनाया जाए।

रोकथाम के लिए कौन-से उपाय किए जा रहे हैं? क्या मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देशों के अनुसार बाल असुरक्षा की कोई मैपिंग की गई है? तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह पर ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के इन जोखिमों का सामना करने की नौबत ही न आए, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रोकथाम की शुरुआत उन बच्चों की पहचान से होती है जिन पर जोखिम हो सकता है, यानी किसी संरक्षण समस्या के संकट बनने से पहले ही। ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका ग्राम सभा है, जहाँ समुदाय मिलकर उन बच्चों की पहचान कर सकता है जिन्हें अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत है। ग्राम सभा के ज़रिए पंचायत यह जान सकती है कि गाँव में कितने दिव्यांग बच्चे हैं, कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, कौन-से बच्चे बाल श्रम या बाल विवाह के जोखिम में हैं, और अन्य कौन-से बच्चों को अतिरिक्त देखभाल और सहयोग की ज़रूरत हो सकती है। इससे पंचायत में बच्चों की असुरक्षा की स्थिति समझने की एक शुरुआत मिलती है।

इस मैपिंग को आँगनवाड़ी सेविकाओं और वार्ड सदस्यों की मदद से और मज़बूत किया जा सकता है। ये परिवारों और समुदाय से नज़दीकी से जुड़े होते हैं और ऐसे बच्चों की पहचान में मदद कर सकते हैं जो अन्यथा छूट सकते हैं। इन अलग-अलग स्रोतों की जानकारी को जोड़कर पंचायत बेहतर ढंग से समझ सकती है कि कौन-से बच्चे जोखिम में हैं और उन्हें किस तरह के सहयोग की ज़रूरत है।

इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ़ तस्करी, बाल श्रम या बाल विवाह के मामले होने के बाद कार्रवाई करने पर नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता यह है कि जोखिम की पहचान जल्दी हो, उसके पीछे के कारण समझे जाएँ, और स्थिति ज़्यादा गंभीर होने से पहले ही बच्चों और परिवारों को उपयुक्त योजनाओं, सेवाओं और सहयोग से जोड़ा जाए।

बाल सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को किस प्रकार सक्रिय किया जा सकता है?

ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों के पास बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दे उठाने का अधिकार पहले से है। ज़रूरत नई व्यवस्थाएँ बनाने की नहीं, बल्कि इसे प्राथमिकता देने और नियमित रूप से आगे बढ़ाते रहने की है।

1. इसे बैठक का स्थायी एजेंडा बनाएँ। बच्चों के कल्याण से जुड़े संकेतक, जैसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, टीकाकरण, CWPC को भेजे गए मामले और परिवार की देखरेख से बाहर के बच्चे, हर ग्राम सभा में चर्चा के विषय हों, ठीक वैसे ही जैसे पानी या निर्माण कार्यों की जानकारी दी जाती है। यह सिर्फ़ विशेष अभियानों के समय नहीं होना चाहिए।
2. CWPC और ग्राम सभा का जुड़ाव मज़बूत करें। ग्राम स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (VLCWPC) को ग्राम सभा को रिपोर्ट करना होता है। हर बैठक में CWPC की ओर से एक छोटी, नियमित जानकारी देने से जवाबदेही बढ़ती है।
3. असुरक्षित समूहों और बच्चों को सीधे शामिल करें। कमज़ोर परिवारों के प्रतिनिधियों, किशोर-किशोरियों और बाल संसद के सदस्यों को अपने मुद्दों पर खुद बोलने के लिए बुलाया जाए। उनके बारे में सिर्फ़ बात न की जाए।
4. इसे निधि आवंटन से जोड़ें। GPDP को अंतिम रूप देने से पहले ग्राम सभा में बाल संरक्षण की ज़रूरतें उठाने से 5% अनटाइड फंड का एक हिस्सा बच्चों से जुड़े कामों में लगाना आसान हो जाता है।
5. निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी भूमिका की जानकारी दें। कई वार्ड सदस्यों और पंचों को यह पता नहीं होता कि महिला एवं बाल संबंधी स्थायी समितियों के ज़रिए बाल संरक्षण उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। बुनियादी अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) से यह कमी दूर हो सकती है।
6. मौजूदा मंचों का उपयोग करें। आँगनवाड़ी सेविकाएँ, आशा कार्यकर्ता और शिक्षक स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर पहले से ग्राम सभा से जुड़े हैं। इसी माध्यम से बाल संरक्षण के मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं, अलग व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है।
7. डेटा साझा करने और रिपोर्टिंग की तय व्यवस्था हो। मिशन वात्सल्य के तहत ज़िला से लेकर ग्राम पंचायत और गाँव स्तर तक की CWPC के लिए डेटा साझा करने और रिपोर्टिंग की एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, जो ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) की समग्र निगरानी और मार्गदर्शन में चले।

स्थानीय शासन व्यवस्था दिव्यांग बच्चों, सड़क पर रहने/जीने वाले बच्चों, प्रवासी बच्चों तथा कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में आने वाले बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से कैसे संवेदनशील और उत्तरदायी बन सकती है?

स्थानीय शासन इन समूहों के लिए सबसे अच्छा काम तब करता है जब पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि इनकी पहचान हो और इन्हें पंचायत स्तर की योजना में शामिल किया जाए, क्योंकि सामान्य बाल संरक्षण के आँकड़ों में ये बच्चे अक्सर अदृश्य रह जाते हैं।

दिव्यांग बच्चे: पंचायतें (आँगनवाड़ी/स्कूल से जुड़ा) एक सरल स्थानीय रजिस्टर रख सकती हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखी जा सके और उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पात्रता वाली योजनाओं और समावेशी शिक्षा के सहयोग से जोड़ा जा सके। GPDP की निधि से आँगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में रैंप और सुगम शौचालय जैसी बुनियादी सुगमता की व्यवस्था की जा सकती है।

सड़क से जुड़े बच्चे: ये बच्चे पंचायतों और ज़िलों की सीमाओं के पार आते-जाते रहते हैं, इसलिए बचाव, पुनर्वास और परिवार की खोज के लिए इनका ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और बाल कल्याण समिति (CWC) से सक्रिय जुड़ाव ज़रूरी है। पंचायतें मामलों की सूचना देकर और बच्चे के परिवार या समुदाय से दोबारा जुड़ जाने के बाद उसके पुनर्स्थापन में सहयोग देकर भूमिका निभा सकती हैं।

प्रवासी बच्चे: जिस जगह से लोग पलायन करते हैं और जहाँ वे पहुँचते हैं, दोनों जगह की पंचायतों में बेहतर तालमेल चाहिए। मूल (गृह) पंचायतें काम के लिए पलायन करने वाले परिवारों पर नज़र रखें और पीछे छूट जाने या तस्करी के जोखिम वाले बच्चों की पहचान करके सूचित करें। वहीं जिन इलाकों में प्रवासी पहुँचते हैं, वहाँ प्रवासी बच्चों की पहचान कर उन्हें स्थानीय स्कूलों और सेवाओं में नामांकित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

विधि-विरोधी परिस्थितियों में बच्चे (कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे): यहाँ ध्यान रोकथाम और पुनर्स्थापन पर है। पंचायतें CWPC के ज़रिए जोखिम वाले बच्चों की जल्दी पहचान (स्कूल छोड़ना, नशे का सेवन, परिवार का टूटना) करके और बच्चे के समुदाय में लौटने के बाद किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और परिवीक्षा अधिकारियों (प्रोबेशन ऑफिसर) के साथ मिलकर पुनर्स्थापन में सहयोग देकर मदद कर सकती हैं।

चारों में साझा बात: स्थानीय शासन को "सब पर एक जैसा" बाल संरक्षण तरीका छोड़कर मामला-आधारित निगरानी की ओर बढ़ना होगा। इसमें CWPC और पंचायतें उन बच्चों पर नज़र रखें जो सामान्य श्रेणियों से बाहर रह जाते हैं, और उन्हें ज़िला स्तर की व्यवस्थाओं (DCPU, CWC, JJB) से खुद जोड़ें, यह उम्मीद करने के बजाय कि ये व्यवस्थाएँ उन्हें ढूँढ़ती हुई आएँगी। पंचायत स्तर पर असुरक्षा रजिस्टर (वल्नरेबिलिटी रजिस्टर) बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।

कानूनी/योजनागत प्रावधानों के बावजूद, विभिन्न स्तरों पर CWPCs को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है? विशेष रूप से स्थानीय नेतृत्व में बदलाव के दौरान, पंचायत प्रधान और राजनीतिक नेतृत्व की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए?

चुनौतियाँ

1. बाल संरक्षण को पंचायत का "मुख्य" काम नहीं माना जाता। सड़क, पानी और स्वच्छता जैसे काम दिखते हैं, इनके नतीजे तय समय में मिलते हैं और ये प्राथमिकता में रहते हैं। बाल संरक्षण के नतीजे धीरे आते हैं और कम दिखते हैं। इसलिए जब पंचायत नेतृत्व के पास समय कम और माँगें ज़्यादा होती हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाता है।
2. नियमों की नहीं, अपनेपन (ओनरशिप) की कमी है। CWPC अक्सर सिर्फ़ औपचारिकता पूरी करने के लिए कागज़ पर बना दी जाती है। सदस्यों को अपनी भूमिका साफ़ नहीं होती, बैठकें नियमित नहीं होतीं, और इसे चलाने के लिए कोई सक्रिय रूप से आगे नहीं बढ़ता।
3. काम न करने पर कोई जवाबदेही नहीं। वित्तीय या निर्माण कार्यों के लक्ष्यों के विपरीत, अगर CWPC की बैठक नहीं होती या वह कार्रवाई नहीं करती, तो शायद ही कभी कोई जवाबदेही तय होती है या निगरानी होती है। इसलिए यह प्राथमिकता सूची में नीचे खिसकती जाती है।
4. सीमित क्षमता और प्रशिक्षण। कई पंचायत सदस्य और खुद CWPC के सदस्य भी पूरी तरह नहीं समझते कि बाल संरक्षण में क्या-क्या आता है, या मामलों की पहचान और उन पर कार्रवाई कैसे की जाए। इससे समिति काम करने वाली कम, दिखावटी ज़्यादा रह जाती है।
5. राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव। पंचायत नेतृत्व बदलने पर पिछले मुखिया या समिति के साथ बनी गति अक्सर शून्य से शुरू हो जाती है, क्योंकि बाल संरक्षण के काम के लिए संस्थागत स्मृति या हस्तांतरण (हैंडओवर) की कोई व्यवस्था नहीं होती।

पंचायत के मुखिया और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका

1. खुलकर नेतृत्व करना। जब मुखिया खुद CWPC की बैठकों में आते हैं या ग्राम सभा में बाल संरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, तो यह संदेश जाता है कि यह वाकई प्राथमिकता है, सिर्फ़ किसी NGO या सरकारी विभाग का काम नहीं।
2. नियमित बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना। मुखिया CWPC की बैठकों को पंचायत के नियमित कैलेंडर का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि वे जब-तब होने वाली बैठकें न रहें।
3. GPDP में बच्चों के मुद्दों को प्राथमिकता देना। मुखिया इन कामों को GPDP में शामिल कराने के लिए समर्थन जुटा सकते हैं: असुरक्षा का आकलन, जागरूकता गतिविधियाँ, जीवन कौशल प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग, खेल-कूद, पंचायत में बच्चों के लिए संरचनात्मक बाधाओं या खतरों की पहचान, और बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सभी गतिविधियाँ।
4. संसाधनों से जोड़ना। GPDP की निधि, जिसमें 5% अनटाइड फंड भी शामिल है, कैसे खर्च हो, इसमें मुखिया की अहम भूमिका होती है। इसमें बाल संरक्षण की ज़रूरतों को सक्रिय रूप से शामिल करने से सचमुच फ़र्क पड़ता है।
5. नेतृत्व बदलने पर निरंतरता बनाए रखना। एक सरल हैंडओवर व्यवस्था, जिसमें नए मुखिया और समिति को चल रहे बाल संरक्षण मामलों, प्राथमिकताओं और की गई प्रतिबद्धताओं की जानकारी दी जाए, नेतृत्व बदलने पर काम के शून्य से शुरू होने की समस्या रोक सकती है।
6. जवाबदेही का उदाहरण पेश करना। राजनीतिक नेतृत्व ग्राम सभा में CWPC से समय-समय पर जानकारी माँग सकता है। इससे पारदर्शिता और अनुवर्ती कार्रवाई की ऐसी आदत बनती है जो पद पर कोई भी हो, चलती रहती है।

समुदाय की भागीदारी के साथ कौन-से जवाबदेही और फॉलो-अप तंत्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाल संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट किए गए मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई हो?

समय पर कार्रवाई के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं: शिकायत से कार्रवाई तक का एक साफ़ रास्ता, और समुदाय की ऐसी भागीदारी जो इस पूरी प्रक्रिया को जवाबदेह बनाए रखे।

1. CWPC स्तर पर मामलों की निगरानी। रिपोर्ट किया गया हर मामला तारीख, की गई कार्रवाई और वर्तमान स्थिति के साथ दर्ज होना चाहिए। सिर्फ़ इससे ही यह साफ़ दिख जाएगा कि कोई मामला बिना कार्रवाई के पड़ा तो नहीं है।
2. समय-सीमा के साथ रेफ़रल की व्यवस्था। जो गंभीर मामले पंचायत के दायरे से बाहर हैं, उनके लिए बाल कल्याण समिति (CWC) या ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) तक पहुँचने का एक साफ़ और सबको मालूम रास्ता होना चाहिए, जिसमें तय समय-सीमा हो, ताकि मामले स्थानीय स्तर पर ही अटके न रहें।
3. ग्राम सभा को नियमित जानकारी। हर ग्राम सभा में CWPC की ओर से एक छोटी जानकारी दी जाए, जिसमें बताया जाए कि कितने मामले आए, कितने सुलझे और कितने लंबित हैं। इससे समुदाय को पता रहता है और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बनती है।
4. समुदाय आधारित निगरानीकर्ता। आँगनवाड़ी सेविकाएँ, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक और SHG सदस्य अक्सर सबसे पहले यह भाँप लेते हैं कि कोई बच्चा जोखिम में है। इन्हें औपचारिक रूप से सूचना देने वाले केंद्र के रूप में जोड़ने से जोखिम की पहचान और अनुवर्ती कार्रवाई तेज़ होती है।
5. सूचना देने वाले को जानकारी देना। जिसने मामला उठाया है, उसे (गोपनीयता भंग किए बिना) यह बताना कि कुछ कार्रवाई हुई है, भरोसा बढ़ाता है और आगे भी लोगों को सूचना देने के लिए प्रेरित करता है।
6. सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)। जैसे मनरेगा में होता है, वैसे ही बाल संरक्षण के मामलों की कार्रवाई की भी समय-समय पर समुदाय के लोगों द्वारा समीक्षा हो सकती है, कि मामलों पर कार्रवाई हुई या नहीं, और कितने समय में हुई।

संक्षेप में: अकेले अधिकारी हर चीज़ पर नज़र नहीं रख सकते। ग्राम सभा, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और सामाजिक अंकेक्षण को जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि रिपोर्ट किए गए मामले अनदेखे न रह जाएँ।

क्या ग्राम सभा संसाधनों (resources) के साथ-साथ बाल अधिकार (Child Rights) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए कमज़ोर (Vulnerable) समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है?

सैद्धांतिक रूप से ग्राम सभाएँ सभी समुदाय के सदस्यों के लिए खुली होती हैं, जिनमें कमज़ोर समूह भी शामिल हैं। लेकिन व्यवहार में उनकी भागीदारी अक्सर सीमित रहती है और इसे सार्थक बनाने के लिए सोच-समझकर प्रयास करने की ज़रूरत है।

मौजूदा स्थिति

कमज़ोर परिवार, जिनमें जोखिम वाले बच्चों के परिवार, एकल अभिभावक वाले परिवार, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार या प्रवासी परिवार शामिल हैं, अक्सर ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से नहीं आते। इसके कई कारण हैं: उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनकी बात मायने रखती है, सामाजिक झिझक, काम की मजबूरियाँ, या उन्हें बैठक के संबंधित मुद्दों के बारे में खास तौर पर न बुलाया जाना और न बताया जाना।

क्या बदलना ज़रूरी है

- सिर्फ़ खुला निमंत्रण नहीं, सीधा संपर्क। आम घोषणा काफ़ी नहीं है। जब बैठक में बच्चों के अधिकार या संसाधनों से जुड़े मुद्दे हों, तब CWPC सदस्य, आँगनवाड़ी सेविकाएँ या आशा कार्यकर्ता खुद आगे बढ़कर कमज़ोर परिवारों की पहचान करें और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित करें।
- संबंधित एजेंडा बिंदुओं की पहले से जानकारी। अगर ग्राम सभा में GPDP की निधि के बँटवारे या बाल संरक्षण की चिंताओं पर चर्चा होनी है, तो कमज़ोर समुदायों के प्रतिनिधियों को पहले से पता होना चाहिए, ताकि वे अपनी बात रखने की तैयारी कर सकें और चुपचाप बैठे दर्शक बनकर न रह जाएँ।

- बोलने के लिए सहज माहौल बनाना। सिर्फ़ मौजूद होना और अपनी बात सुनाई जाना, दोनों एक नहीं हैं। संचालन का तरीका मायने रखता है: यह सुनिश्चित हो कि कमज़ोर समूहों के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका मिले और उनकी बात दर्ज की जाए और उस पर विचार हो, सिर्फ़ दिखावे के लिए शामिल न किया जाए।
- मौजूदा स्थानीय कार्यकर्ताओं के ज़रिए जुड़ाव। आँगनवाड़ी सेविकाएँ, आशा कार्यकर्ता और SHG सदस्य पहले से कमज़ोर परिवारों से जुड़े होते हैं, इसलिए वे एक पुल का काम कर सकते हैं। परिवार खुद बैठक में न आए, तब भी वे उसकी चिंताओं को सामने ला सकते हैं।

ग्राम सभा की व्यवस्था में इस भागीदारी की गुंजाइश है, लेकिन यह अपने आप नहीं होती। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों और बाल अधिकारों की चर्चा में कमज़ोर समूहों की आवाज़ सचमुच शामिल हो, सिर्फ़ औपचारिक निमंत्रण नहीं, बल्कि सोच-समझकर किया गया संपर्क और संचालन ज़रूरी है।

अन्य उपयोगी संसाधन

- SNEH Compendium - Vol.2
- IACN June Quarterly
- Letter to Chief Secrataries by all Key Ministries Child Friendly Village
- Video by MoPR in Hindi on Child Friendly Village
- Film presented by UNICEF in English on Child Friendly Village